प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 316 सन 2022

अनवान :–

1. नीरज पुत्र भूपराम जाति जाट साकिन चक देईदासपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मालता पत्नी भूपराम जाति जाट साकिन चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 20/05/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ढाणी चारणान के खाता संख्या 87/87 की कुल 7.9040हैक भूमि में से 7967/15808हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीया की माता है के नाम से दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि वादी के पिता एव वादी के दादा ने सयुक्त परिवार से अर्जित आय एवं अन्य कृषि भूमियों की आये से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज करवाई गई थी जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य कृषि भूमियों की काश्त की आय से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करवाने के कारण पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जिसमें वादी का प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा है जिसे रजास्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी की माता है जो काफी वृद्व हो चुकी है अधिक भूमि काश्त करने में असमर्थ एव वादी के साथ ही रहती है प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज भूम में से 1 बीधा भूमि रखी जाकर शेष भूमि अपने पूत्र वादी के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पूर्वजों के द्वारा सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य कृषि भूमियों की काश्त से अर्जित आय से अर्जित की जाकर वादी की माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी अर्थात सयुक्त परिवार की आय से अर्जित कर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करवाने के कारण वादी का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वह काफी वृद्व हो

Scanned with CamScanner

चुकी है तथा वादी के साथ ही निवास करती है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि में से 0.2530हैक भूमि रखी जाकर शेष भूमि वादी के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात वादी के निवेदन पर पत्रावली प्रशासन गांव के (फोलोअप) अभियान वर्ष – 2022 में प्रस्तुत हुई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा ढाणी चारणान के खाता संख्या 87/87 की कुल 7.9040हैक भूमि में से 7967/15808हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीया की माता है के नाम से दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि वादी के पिता एव वादी के दादा ने सयुक्त परिवार से अर्जित आय एवं अन्य कृषि भूमियों की आये से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज करवाई गई थी जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य कृषि भूमियों की काश्त की आय से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करवाने के कारण पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जिसमें वादी का प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा है जिसे रजास्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी की माता है जो काफी वृद्व हो चुकी है अधिक भूमि काश्त करने में असमर्थ एव वादी के साथ ही रहती है प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज भूम में से 1 बीधा भूमि रखी जाकर शेष भूमि अपने पूत्र वादी के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद/कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी चारणान के खाता संख्या 87/87 की कुल 7.9040हैक भूमि में से 7967/15808हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य कृषि भूमियों की काश्त की आय से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करवाने के कारण पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जिसमें वादी का प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी की माता है जो काफी वृद्व हो चुकी है अधिक भूमि काश्त करने में असमर्थ एव वादी के साथ ही रहती है प्रतिवादी संख्या 1 ने

Scanned with CamScanner

अपने नाम दर्ज भूम में से 1 बीधा भूमि रखी जाकर शेष भूमि अपने पूत्र वादी के पक्ष में त्याग किया जा चुका है वादी के कथनों को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसने एक वीधा भूमि रखी जाकर शेष भूमि अपने पुत्र वादी के पक्ष में त्याग किया हुआ है जिसे उसके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी चारणान के खाता संख्या 87/87 की कुल 7.9040हैक भूमि में से 7967/15808 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से 3.7305हिस्सा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष 0.2530हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/5/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट.....नोहरान

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

उनवान :–

1. नीरज पुत्र भूपराम जाति जाट साकिन चक वेईवारापुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मालता पत्नी भूपराम जाति जाट साकिन चक वेईवारापुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 316 सन 2022 निर्णय दिनांक–20/05/2022

आज यह वाद प्रशासन गावं के संग (फोलोअप) अभियान वर्ष – 2022 में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी चारणान के खाता संख्या 87/87 की कुल 7.9040हैक्ट भूमि में से 7967/15808 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से 3.7305हिस्सा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष 0.2530हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/5/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप)अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट.......गारेरवाश

प्रशासन गांव के संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 338 सन 2022
अनवान :–

1. सरदारा पुत्र चान्दा जाति राजपूत निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 18/05/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की वादी के नाम रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 290/287 की कुल 3.4900हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि मे वादी का नाम सरदारा पुत्र चान्दा जाति दरोगा दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम सरदारा पुत्र चान्दा जाति राजपूत है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम सरदारा पुत्र चान्दा जाति राजपूत है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम सरदारा पुत्र चान्दा जाति राजपूत दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सरदारा पुत्र चान्दा जाति दरोगा दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर सरदारा पुत्र चान्दा जाति दरोगा के स्थान पर सरदारा पुत्र चान्दा जाति राजपूत संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित होकर निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाव शामिल मिलस किया गया।

तत्पश्चात वादी के निवेदन पर पत्रावली प्रशांसन गांव के संग (फोलोअप) अभियान वर्ष– 2022 में प्रस्तुत हुई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की वादी के नाम रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 290/287 की कुल 3.4900हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि मे वादी का नाम सरदारा पुत्र चान्दा जाति दरोगा दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम सरदारा पुत्र चान्दा जाति राजपूत है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम सरदारा पुत्र चान्दा जाति राजपूत है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner